**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 513 सन 2018
अनवान :–

1. भादरराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

वादी

**बनाम**

1. ख्यालीराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. अमरसिह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. चन्दा 4 विमला 5 बिदामी 6 सन्तों 7 गिरदावरी 8 इन्द्रा 9 रूकमा 10 सोना 11 प्रमेश्वरी पुत्रीया ख्यालीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा गोरखाना के खाता संख्या 301/59 के खसरा न0 98 की कुल 25.7990हैक जिसमें सयुक्त तौर से ख्यालीराम का 1024 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पूर्व में ख्यालीराम के पिता चेतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों पर औद हुई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में उक्त भूमि आई है। इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी /प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहनें है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 में पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों समर्थन में पूर्व में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि सेही मोजा गोरखाना के खाता संख्या 301/59 के खसरा न0 98 की कुल 25.7990हैक भूमि मे से सयुक्त तौर से सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1024 हिस्से भूमि में से वादी के पास 412 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पास 612 हिस्से भूमि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ )

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official